

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-03/2024-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पंदाधिकारी को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार के साथ अपने ही वेतनमान में बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-84 के तहत अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित कार्यालय का प्रभार (वित्तीय शक्ति सहित) दिया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम/पदनाम	अतिरिक्त प्रभार के कार्यालय/पद का नाम
1	2	3
1	डा0 योगेन्द्र प्रसाद मंडल, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।	अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना-7

- उक्त से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।
- नियमित पदस्थापन होने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक: 203(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 28/02/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित अपर निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: विभागीय प्रशाखा-2, 7, 9, 12, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

रेणु कुमारी
विशेष कार्य पदाधिकारी